न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट, शिवतलाव
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/20220 GCMS No 2020/00015
दायरा तिथि : 14.02.2020
फैसला तिथि : 08.10.2021

प्रार्थी::–
फोजपुरी पुत्री श्री प्रेमपुरीजी जाति गोस्वामी
निवासी बिलिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 8-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प शिवतलाव में पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम बिलीया के खसरा नंबर 488, 489 में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने **त्रुटिपुर्ण नाम मोडपुरी पुत्र प्रेमपुरी** को दुरस्ती के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम फौजपुरी पुत्र प्रेमपुरी दर्ज** किये जाने का निवेदन किया। इस सबंध में तहसीलदार, बाली ने रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट में सवत् 2046 से 2049 में दाखिल व स्वीकृत वरासत के नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 24.05.1992 के द्वारा प्रेमपुरी पुत्र हीरापुरी के उत्तराधिकारी के तौर पर बसंतपुरी, प्रभुपुरी, **मोडापुरी,** अचलपुरी, मदनपुरी पि0 प्रेमपुरी दर्ज किया गया। एवं खाता संख्या 47 में उक्त नामान्तरकरण संख्या 31 का नोट भी नामान्तरकरण के अनुसार ही लगाया गया हैं। प्रेमपुरी पुत्र हीरापुरी के पांच पुत्र है– बसंतपुरी, प्रभुपुरी, **फौजपुरी,** अचलपुरी, मदनपुरी पि. प्रेमपुरी हैं। गांव में मोडापुरी के नाम से अन्य कोई व्यक्ति भी नहीं हैं। फौजपुरी व रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण मोडापुरी एक ही व्यक्ति हैं तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता सूची में भी **फौजपुरी पुत्र प्रेमपुरी दर्ज** हैं। जिससे ग्राम बिलिया की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 102 में क्रं0सं0 16 पर दर्ज बतौर सह खातेदार **मोडापुरी पुत्र प्रेमपुरी** के स्थान पर सही नाम **फौजपुरी पुत्र प्रेमपुरी दर्ज** किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बिलीया के खसरा नंबर 488, 489 में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम मोडपुरी पुत्र प्रेमपुरी** को दुरस्ती के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम फौजपुरी पुत्र प्रेमपुरी हिस्सानुसार दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली केम्प शिवतलाव

आदेश आज दिनांक **08.10.2021** को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली केम्प शिवतलाव

Scanned with CamScanner